



उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-सूची

गुरुवार, 29 माघ, शक संवत् 1942
(दिनांक 18 फरवरी, 2021 ई०)

समय : 12:30 बजे अपराह्न

1-शुभारम्भ, 'वन्दे मातरम्'।

देखिये नत्थी (क)।

2-माननीय अध्यक्ष, श्री राज्यपाल द्वारा एक साथ समवेत् दोनों सदनों को दिये गये अभिभाषण को पढ़ कर सुनायेंगे।

3-वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-19 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखेंगे।

4-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-20 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखेंगे।

5-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-21 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखेंगे।

6-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-22 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखेंगे।

7-गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री, उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-23 सन् 2020) को सदन के पटल पर रखेंगे।

8-आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2021) को सदन के पटल पर रखेंगे।

9-मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2021) को सदन के पटल पर रखेंगे।

10-प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2019, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त “भारत का संविधान” के अनुच्छेद-200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था और जो संविधान के अनुच्छेद-175 के खण्ड (2) सपटित अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय के सन्देश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-169(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखेंगे।

11-प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017, जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त “भारत का संविधान” के अनुच्छेद-200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था और जो संविधान के अनुच्छेद-175 के खण्ड (2) सपटित अनुच्छेद-200 के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय के सन्देश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-169(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखेंगे।

12-प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करेंगे कि :-

(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(2) उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(3) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(4) उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(5) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(6) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(7) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(8) उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(9) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(10) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(11) उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(12) उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(13) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(14) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(15) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(16) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(17) उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(18) उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(19) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(20) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(21) उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(22) उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(23) कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(24) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(25) उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(26) कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(27) उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

(28) उत्तर प्रदेश सरकारी सम्पत्ति (प्रबन्ध और निस्तारण) विधेयक, 2020, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2020 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 23 अगस्त, 2020 को वापस प्राप्त हो गया।

13-प्रमुख सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि-

(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 27 फरवरी, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

(2) उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

(3) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020

की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

(4) उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया।

(5) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया।

(6) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

(7) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया।

(8) उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020

को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवाँ अधिनियम बन गया।

(9) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारहवाँ अधिनियम बन गया।

(10) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवाँ अधिनियम बन गया।

(11) उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का बीसवाँ अधिनियम बन गया।

(12) उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवाँ अधिनियम बन गया।

(13) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति

दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का बाइसवां अधिनियम बन गया।

(14) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का तेइसवां अधिनियम बन गया।

(15) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

(16) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

(17) उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।

(18) उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का सत्ताईसवां अधिनियम बन गया।

(19) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का अट्ठाईसवां अधिनियम बन गया।

(20) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का उन्तीसवां अधिनियम बन गया।

(21) उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का तीसवां अधिनियम बन गया।

(22) उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 अगस्त, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का इक्तीसवां अधिनियम बन गया।

(23) कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 अगस्त, 2020 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 22 अगस्त, 2020 की बैठक में पारित किया था, पर श्री राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 09 अक्टूबर, 2020 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2020 का उत्तर प्रदेश का बत्तीसवां अधिनियम बन गया।

14-सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनाएं, यदि कोई हों।

15-विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

16-नियम-315 के खण्ड (14) व (15) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा :-

माननीय अध्यक्ष, विधान सभा नियम-225 के अन्तर्गत दिनांक 18 फरवरी, 2021 से दिनांक 10 मार्च, 2021 तक सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना सदन को देंगे।

[सिफारिशों की सूचना के लिये देखिये नत्थी (ख)]

17-मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

18-उप मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

19-उप मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे।

लखनऊ :

दिनांक 18 फरवरी, 2021 ई0

आज्ञा से,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।



नत्थी (क)

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ॥

सुजलाम् ।

सुफलाम् ।

मलयज शीतलाम् ।

शस्य श्यामलाम् ।

मातरम् । वन्दे मातरम् ॥

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम् । वन्दे मातरम् ॥



नत्थी (ख)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 फरवरी, 2021 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

- 1-दिनांक 18 फरवरी, 2021 को कोई सूचनाएं न ली जायं तथा प्रश्नकाल न हो।
- 2-दिनांक 19 फरवरी, 2021 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायं।
- 3-दिनांक 19 फरवरी, 2021 के स्थान पर दिनांक 22 फरवरी, 2021 से मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा प्रारम्भ की जाए।
- 4-दिनांक 22, 23 व 24 फरवरी, 2021 को नियम-56 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं।
- 5-दिनांक 22 फरवरी, 2021 को प्रश्नकाल न हो।

तदनुसार दिनांक 18 फरवरी, 2021 से दिनांक 10 मार्च, 2021 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

फरवरी, 2021

18 गुरुवार

1-11:00 बजे पूर्वाह्न

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष माननीया राज्यपाल का अभिभाषण।

2-12:30 बजे अपराह्न

- (1) माननीया राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़ कर सुनाया जाना।
- (2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।

19 शुक्रवार

1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।

2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

20 शनिवार

21 रविवार

22 सोमवार

बैठक नहीं होगी।

1-11:00 बजे पूर्वाह्न

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण।

2-माननीया राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

फरवरी, 2021

23 मंगलवार	माननीया राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
24 बुधवार	1-माननीया राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। 2-वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
25 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
26 शुक्रवार	बैठक नहीं होगी। (हजरत अली के जन्मदिवस का अवकाश)
27 शनिवार	} बैठक नहीं होगी।
28 रविवार	

मार्च, 2021

01 सोमवार	वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
02 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
03 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
04 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
05 शुक्रवार	1-वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। 2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।
06 शनिवार	} बैठक नहीं होगी।
07 रविवार	
08 सोमवार	वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
09 मंगलवार	वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
10 बुधवार	1-वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-3:00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2021 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।